कार्यालय नगर परिषद पुनासा जिला खंडवा (म.प्र.)

OFFICE OF NAGAR PARISHAD PUNASA, DIST. KHANDWA (M.P.)

SANAWAD MAIN ROAD, PUNASA WARD 11 PUNASA-450114 Email : cmopunasa@mpurban.gov.in

क्रमांक/स्था.शा./दिव्यांगजन भर्ती/2024/274 पुनासा, दिनांक 26/07/2024

//विज्ञापन//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7775/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, सचालनालय नगरीय प्रशासन एवं आवास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्थापना/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 अन्य पत्रो में दिये गये निर्देशानुसार एवं परिषद प्रस्ताव क्रमांक-09 दिनांक 25.07.2024 द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यागजनो के लिए पदनाम-सफाई सरक्षक (सविदा) के आरक्षित पद/पदो की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एव आयु रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र भरकर दिनांक 12.08.2024 कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करे। निर्धारित समयावधि मे आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति मे उन पर विचार नही किया जावेगा। डाक के माध्यम से विलब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। दिव्यागजनो हेतु आरक्षित पदो का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एव वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	अना./अजा./अजजा / अपंग./ ई.डब्ल्यू. एस.	दिव्यागजनो के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
					दृष्टी बाधित और कम दृष्टी बाधित	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	बौद्धिक दिव्यागता, स्पेसिफिक, लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	सफाई सरक्षक संविदा	चतुर्थ	8000 या वर्तमान कलेक्टर दर जो भी अधिक हो।	अनारक्षित	00	00	00	01	5 वी उत्तीर्ण	पात्र अभ्यर्थियो को वॉक-इन-इंटरव्यू की सूचना पृथक से दी जावेगी

मुख्य शर्तें:-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 2. समस्त प्रमाण-पत्रो को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वय सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति सलग्न प्रेषित की जावे। 3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एव अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग अनु.जा. अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वायत्ती सस्था के कर्मचारी/नगरसैनिक/निशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट) होगी। 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक भोपाल 12 मई 2017 एव पश्चात क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रो की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। 6. दिव्यागता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अत उक्त तिथि के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यागता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। / डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा। 8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदको को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। 9. अधूरे, असम्पूर्ण एवं अपठनीय आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। 10. भर्ती से संबंधित जानकारी एव शर्तें कार्यालयीन समय मे निगम / निकाय से प्राप्त की जा सकती है। 11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एव महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदो के लिए अयोग्य माना जावेगा। 12 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओ और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है। 13. आवेदन-पत्र मे कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र सलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण मूल्यांकन दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। 14. सीधी भर्ती/वैकल्पिक के पदो पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त होगे। 15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यागजनो की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियो (सहरिया/सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओ एव भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदको को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा। 16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नही है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखो को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमे ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे। 17. दिव्यागजनो के लिए आरक्षित पदो के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियो का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव मे विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे। 18. यह कि दिव्यागजनो के लिए आरक्षित पदो के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियो के निशक्तता का 40 प्रतिशत या उससे अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। 19 शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव मे दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा। 20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एव चतुर्थ श्रेणी के पदो पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि मे अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्थायीकृत के रूप मे दी जायेगी। 21. दिव्यागजनो हेतु विज्ञापित संविदा के पदो पर भर्ती स्थानीय कार्यकारी मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 मे विहित प्रावधानुसार की जावेगी। 22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पुनासा, जिला खंडवा

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पुनासा, वार्ड क्रमांक-11, सनावद रोड, पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)

स्व- प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे।

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम .....
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम .....
4. आवेदक/आवेदिका जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष ..... माह ..... दिन .....
5. दिनांक को आयु वर्ष .....माह.....दिन .....
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष / महिला / अन्य) .....
7. निशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हा/नही) .....
8. दिव्यागता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत .....
9. आवेदक/आवेदिका की जाति .....
10. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक .....
11. जीवित संतानों का विवरण .....
12. वर्तमान पता/पिन कोड .....
13. स्थाई पता/पिन कोड .....
14. पत्राचार का पता/पिन कोड .....
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एव रोजगार कार्यालय का नाम .....
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण .....
17. शैक्षणिक एव तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां सलग्न करे।)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1.							
2.							
3.							
4.							

18. अनुभव यदि हो तो उसका विवरण .....
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो, तो उसका विवरण .....
20. ई मेल आई.डी .....
21. मोबाईल नंबर 1. ..... 2. .....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

"मै घोषणा करता हू/करती हू कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एव ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner